IT cell
07/06/2024

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्याः /उ0ख0/भू0खनि0नि0/ई–निविदा/2024–25, दिनांक 07 जून, 2024

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1, की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023–24ख/2007 दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय–4 नियम–20 (1),(2) एवं (4) में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4842/रा0ख0लॉ/ई0नी0/वि0का0ज्ञ0/भू0खनि0नि0/2023–24 दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी, चमोली, पौडी गढ़वाल, देहरादून, चम्पावत, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर के कुल 51 उपखनिज लॉटों को उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के प्राविधानानुसार खनिज परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञापित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी, के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या 4895/भू0खनि0नि0/2023–24 दिनांक 16.12.2023 एवं पत्र दिनांक 18.01.2024 के द्वारा आमंत्रित निविदा के कुल 51 उपखनिज लॉटों में से आवंटन हेतु अवशेष 37 उपखनिज लॉटों की पुर्न–निविदा (Re-Tender) आमंत्रित की गयी, जिसमें से जनपद उत्तरकाशी के 02 उपखनिज लॉट तुल्याडा (सुनारगॉव), गैलाड़ी की दिनांक 31.01.2024 (बुधवार) समय अपरान्ह 12:00 बजे तकनीकी निविदा खोली जानी निर्धारित की गयी थी। महाप्रबन्धक (सी0एण्डआर0 आर0एस0डब्लू), टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड, भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या टीएचडीसीइलि0/टिहरी/सी0एण्डआर0 आर0 एस0डब्लू0/सी–141/ 97, दिनांक 06.01.2024 के द्वारा उल्लिखित लॉटों में खनन/चुगान हेतु अनापत्ति प्रदान न किये जाने के कारण निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या 5776/उ0ख0/ भू0खनि0नि0/ का0आ0/ 2023–24 दिनांक 31 जनवरी, 2024 के द्वारा उक्त लाटों की तकनीकी निविदा को खोले जाने की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी गयी थी।

जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्र संख्या 2956/बत्तीस–15 (2019–20), दिनांक 25 जनवरी, 2024 के द्वारा महाप्रबन्धक, टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लिमिटेड, भागीरथीपुरम, जनपद टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या टीएच0 डीसीइलि0/टिहरी/सी0एण्डआर0आर0ए0एस0एस0डब्लू0/सी–141/97, दिनांक 06 जनवरी, 2024 के क्रम में ई–निविदा सह ई–नीलामी के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी क्षेत्रान्तर्गत विज्ञापित 03 उपखनिज लॉट तुल्याडा (सुनारगांव), गैलाडी एवं आर्च ब्रिज में खनन/चुगान हेतु अनापत्ति प्रदान न किये जाने से सम्बन्धित सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी, के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या 6383/उ0ख0/भू0खनि0नि0/ई0नि0– अना0/2023–24 दिनांक 23 फरवरी, 2024 के द्वारा जनहित/राजस्व को दृष्टिगत रखते हुए जनपद उत्तरकाशी की तहसील चिन्यालीसौड क्षेत्रान्तर्गत 03 उपखनिज लॉट तुल्याडा (सुनारगांव), गैलाड़ी एवं आर्च ब्रिज में खनन/चुगान कार्य हेतु अनापत्ति निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिशासी निदेशक, टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लिमिटेड, भागीरथीपुरम, जनपद टिहरी गढ़वाल को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, (सी0एण्ड आर0आर0 एस0डब्लू0) टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लिमिटेड, भागीरथीपुरम, जनपद टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या टीएचडीसीइलि0/टिहरी/सी0एण्डआर0आर0एस0डब्लू0/120, दिनांक 23.03.2024 के द्वारा तुल्याडा (सुनारगांव), गैलाड़ी में कतिपय शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रदान की गयी है।

उपरोक्तानुसार महाप्रबन्धक, (सी0एण्ड आर0आर0एस0डब्लू0) टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लिमिटेड, भागीरथीपुरम, जनपद टिहरी गढ़वाल के पत्र दिनांक 23.03.2024 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी की तहसील चिन्यालीसौड के क्षेत्रान्तर्गत 02 लॉट तुल्याडा (सुनारगांव) एवं गैलाड़ी में दी गयी अनापत्ति के क्रम में उक्त लाटों की आमंत्रित निविदा खोले जाने की कार्यवाही पर लगायी गयी रोक को हटाते हुए उक्त लॉटों की तकनीकी निविदा दिनांक 13.06.2024 समय पूर्वान्ह 11:30 बजे खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(राजपाल लेघा)
निदेशक

संख्याः 1245/उ0ख0/भू0खनि0नि0/ई–निविदा/2024–25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव खनन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. जिलाधिकारी उत्तरकाशी।
3. महाप्रबन्धक, (सी0एण्ड आर0आर0एस0डब्लू0) टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लिमिटेड, भागीरथीपुरम, जनपद टिहरी गढ़वाल।
4. उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय, उत्तरकाशी।
5. प्रभारी अधिकारी, आई0टी0 सेल, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त तकनीकी निविदा खोले जाने हेतु www.Uktenders.gov.in में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(राजपाल लेघा)
निदेशक
07/6/24